(49)

40

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : अ.मु.अ./एस.एस./सी. 191 दिनांक : 08-03-2004

अति. मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
संभाग जयपुर-प्रथम (समस्त)

विषय :- कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हेतु माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा दिनांक 10.2.2004 को आयोजित कार्यशाला में दिये गये निर्देशों की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.2.2004 को कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने गुणवत्ता बाबत आवश्यक निर्देश प्रदान किये। इसी क्रम में सभी सम्बन्धित अभियन्ताओं को निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश प्रदान किये जाते है :-

1. कार्य की गुणवत्ता खराब होने पर ठेकेदार के साथ-साथ सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / अधिशाषी अभियन्ता की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावे।
2. ठेकेदारों के कार्यों पर उनके द्वारा नियोजित अभियन्ता साइट पर उपलब्ध रहें।
3. सड़कों का तकमीना सही रूप से तैयार करवाया जाये ताकि डेविएशन, एक्सट्रा आइटम एवं एक्सेस आईटम न हो।
4. अति. मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा कार्यों का सघन निरीक्षण किया जाये ताकि कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

उक्त बिन्दुओं को सख्ती से पालना सुनिश्चित करते हुए आवश्यक रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय,

मुख्य अभियन्ता
8/3/2004

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

मुख्य अभियन्ता
8/3/2004

3951
25/3/04

पत्र प्राप्ति क्र. 3/06 Copy E.E. ... for information & compliance
दिनांक 31.3.04

सा. नि. विभाग, जयपुर